संख्या:70/2016/2598/३३-३-२०१६-१००(11) २०१६टी.सी.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र०शासन ।

सेवा में,

1. **समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।**

पंचायतीराज अनुभाग - ३ **लखनऊ, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016**

विषय: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अंतर्गत पंचायत उद्योगों द्वारा सेनेटरी नेपकिन उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा दिए जाने हेतु कार्यशाला निर्माण एवं मरम्मत हेतु (मात्राकृत धनराशि से) कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत अनुदान संख्या १४ में पंचायत उद्योग केन्द्रों को कार्यशाला निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से स्वीकृत धनराशी ७५०.०० लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

२. शासनादेश संख्या २७२२/३३-३-६०पी०/९१ दिनांक १३ अगस्त, १९९२ के द्वारा पंचायत उद्योगों को कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था बनाया गया है । अतः निर्माण हेतु सम्बंधित पंचायत उद्योग कार्यदायी संस्था होंगे । उक्त निर्माण कार्य एवं निदेशक, पंचायत राज द्वारा आवंटित धन का प्रयोग निम्न प्रकार एवं शर्तो के अधीन कार्यवाही की जायेगी

(1) उक्त निर्माण कार्य हेतु आवंटित सम्पूर्ण धनराशि निर्माण के निमित्त ही उपयोग की जाये और भविष्य में उन्हें इस हेतु और कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी।

(2) कार्यशाला भवनों के लिए भूमि स्वयं पंचायत उद्योगों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी तथा पंचायत उद्योगों द्वारा अधिकतम १०.०० लाख रुपये तक के निर्माण की लागत से कार्यशाला भवनों का निर्माण कराया जायेगा । तकनीकि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी (तकनीकि) जिम्मेवार होंगे । निर्माण कार्यो की शुद्धता की पुष्टि एवं मौके का भौतिक सत्यापन जनपद में विकास कार्यो की समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसकी प्रगति आख्या प्रतिमाह शासन/मिशन निदेशक को भेजी जायेगी।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त निर्माण कार्य की धनराशि निदेशक, पंचायती राज द्वारा आवंटित होने पर धनराशि का आहरण जिस कोषागार द्वारा जिस तिथि को किया जाये, उसकी सूचना अविलम्ब महालेखाकार, उ०प्र०, निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा शासन को भेजी जाये ।

(4) उक्त निर्माण कार्य की निदेशक, पंचायती राज द्वारा आवंटित् किये जाने पर धनराशी का उपभोग दिनांक ३१ मार्च, २०१७ तक अवश्य हो जाना चाहिए तथा धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा शासन को भेज दिया जाये ।

(5) उक्त निर्माण कार्य पर उपयोग की गई धनराशि का वे ही नियम लागू होंगे, जो वित्तीय नियम संग्रह खंड-५ भाग-१ के अध्याय १६ए में दिए गए हैं तथा इससे सम्बंधित लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परोक्षक के विवेकानुसार की जा सकेगी ।

(6) संबंधित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्यो की मौके की समीक्षा व्यक्तिगत ध्यान देकर सुनिश्चित करेंगे तथा निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण कराये जाने की पुष्टि करेंगे एवं मानक के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जायेगा और शासन को समय से अवगत कराया जायेगा ।

3. उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि चूँकि स्वास्थ्य की द्रष्टि से सेनेटरी नेपकिन के उत्पादन हेतु, उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल, उत्पादित नेपकिन के स्टरलाइज्ड स्टेटस को मेन्टेन करने एवं उत्पादित नेपकिन के भण्डारण हेतु सुरक्षित भवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है । पंचायत उद्योगों में सुरक्षित भवन उपलब्ध न होने के कारण सुरक्षित भवन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है । भवन निर्माण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पंचायत उद्योगों के माध्यम से राज्य स्तर से उपलब्ध करायी गयी मानकीकृत डिज़ाइन के अनुरूप कराया जायेगा । प्रश्नगत कार्य महत्वपूर्ण है । अत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या व् दिनांक: - तदैव ।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र० ।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० ।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

6. समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० ।
8. समस्त उप निदेशक (पं०), उ०प्र० ।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० ।

आज्ञा से,

(एस. पी. सिंह)
उप सचिव

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in